

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/शि.क./102/893

भोपाल, दिनांक 20/08/2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना अधिकारी, मध्यप्रदेश
4. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

विषय :- जिलास्तरीय शिक्षक सम्मान(एज्युकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in अन्तर्गत शिक्षक पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि द्वारा)


म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 05 सितम्बर के अवसर पर उत्कृष्ट रोवाएँ प्रदान करने वाले शिक्षकों को राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। यह समारोह शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश इकाई के तत्वावधान में सम्पन्न होता है। यह अनुभव किया गया कि शिक्षकों की संख्या को देखते हुए शिक्षकों का सम्मान केवल राज्यस्तर पर किया जाना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत कम शिक्षकों को सम्मानित होने का अवसर उपलब्ध होता है। शिक्षक सम्मान की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत तथा पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम जिलास्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। शिक्षकों को सम्मानित करने के पूर्व उनके बहु आयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाए इस हेतु एज्युकेशन पोर्टल पर एक "शिक्षक पोर्टल" विकसित किया गया है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि कर सकेंगे। यह जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी ताकि जनसामान्य, विद्यार्थी एवं अन्य शिक्षक भी इससे अवगत हो सकेंगे। शिक्षक द्वारा प्रविष्टि की गई जानकारी का विविध स्तरों पर परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा तथा गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में चयनित शिक्षकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। योजना का स्वरूप, आवश्यक निर्देश एवं प्रपत्र आदि संलग्न है।

जिला स्तर पर शिक्षकों की गुणानुक्रम सूची में से ही राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इस संबंधी निर्देश प्रत्येक से प्रसारित किए जायेंगे।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अधिकाधिक योग्य शिक्षकों को सम्मानित करने में मदद मिल सकेगी। यह भी अपेक्षा है कि शिक्षकों को सम्मानित करने की इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकतम शिक्षक लाभान्वित हो सकें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

पृष्ठ.1 से 12तक


20.8.2010


(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त लोक शिक्षण एवं सचिव

म0प्र0 शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, म.प्र.शासन, भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
7. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.भोपाल।
8. आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश।
9. प्रबंध संचालक, म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
11. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
12. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल
14. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, मध्यप्रदेश, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


आयुक्त लोक शिक्षण एवं सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

जिलास्तरीय शिक्षक सम्मान योजना

विषय: - उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के फलस्वरूप जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु चयन प्रक्रिया तथा मापदण्ड।

भारत वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन् के जन्मदिवस 5 सितम्बर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन वाले शिक्षकों को राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया जाता है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि योग्य एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सर्वप्रथम जिला स्तर पर सम्मानित किया जाए तथा जिला स्तर पर शिक्षकों की गुणानुक्रम सूची में से ही राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों का पात्रतानुसार चयन किया जाए। इस प्रक्रिया में अधिकाधिक शिक्षकों के नामों पर विचार करने एवं निर्णय लेने की विकेंद्रित व्यवस्था तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नानुसार कार्ययोजना लागू की गई है :-

1. नाम: इस सम्मान का नाम "जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान" होगा, जो प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के योग्य शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये प्रदान किया जायेगा।

2. चयन प्रक्रिया

एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित म.प्र.स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के एज्यूकेशन पोर्टल पर (www.educationportal.mp.gov.in) शिक्षक पोर्टल नाम से एक आईकॉन बनाया गया है। इस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा जिसमें सभी शिक्षकों द्वारा अपनी विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा अंकित किया जा सकेगा। प्रत्येक शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी का पेज एक पृथक से वेबसाइट के रूप में विकसित भी किया जा सकेगा ताकि अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं जन सामान्य भी संबंधित द्वारा दी गयी जानकारी से अवगत हो सकें। सभी संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) उनसे संबंधित सभी शिक्षकों के वेबपेज पर दर्ज विवरणों का अवलोकन, परीक्षण एवं पुष्टि करेंगे। यदि DDO के संज्ञान में ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं किन्तु उनका वेबपेज अभी तक नहीं बना है अथवा उस पर पूर्ण विवरण दर्ज नहीं है, तो वह उनकी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उन्हें वेब पेज पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रकार दर्ज की गई समग्र जानकारी की अभिलेख से पुष्टि का दायित्व संबंधित DDO का ही होगा। प्रत्येक DDO द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीन सभी शिक्षकों के वेब पेज तैयार किये जायें। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिये शासन/विभाग द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों से संबंधित जिस क्षेत्र में कोई उपलब्धि की जानकारी नहीं दर्ज होगी उसे निरंक माना जायेगा। इस प्रकार दर्ज की गई समग्र जानकारी की अभिलेख से पुष्टि का दायित्व संबंधित DDO का होगा। DDO द्वारा उपर्युक्तानुसार पुष्टि किये गये वेब पेज पर संबंधित संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से मूल्यांकन टीप दर्ज होने के पश्चात् इस वेब पेज को शिक्षक सम्मान पुरस्कार हेतु विभाग द्वारा शिक्षक का प्रस्ताव मान्य किया जायेगा न कि शिक्षक द्वारा किया गया आवेदन।

यदि DDO स्वयं सम्मान/पुरस्कार हेतु विचारण के पात्र हैं तो उनके संबंध में DDO के लिए निर्दिष्ट पुष्टि आदि के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी DEO द्वारा किया जायेगा। शासन/विभाग द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु शिक्षकों के चयन के लिये गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल पर उपरोक्तानुसार तैयार किये गये तथा पुष्टि किये गये शिक्षकों के वेब पेज में दी गई जानकारी के आधार पर मूल्यांकन करेगी एवं मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार हेतु शिक्षकों की जिला स्तरीय गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी। इस सूची को एज्यूकेशन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जायेगा। उपर्युक्त गुणानुक्रम सूची में से ही प्राथमिकता से यथा निर्दिष्ट श्रेणियों में निर्धारित संख्या में सम्मान प्रदान किये जायेंगे।

एज्युकेशन पोर्टल पर शिक्षकों के वेब पेज निर्माण एवं जानकारी की पुष्टि की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में एज्युकेशन पोर्टल पर शिक्षकों को स्वयं का नामांकन ऑन लाइन करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस हेतु पोर्टल पर एक शिक्षक पोर्टल का निर्माण किया गया है। पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए कोई भी शासकीय विद्यालयों का शिक्षक अपना यूनिक आईडी तथा सर्विस बुक रजिस्ट्रेशन के समय जारी पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगइन कर सकेगा। अगर किसी शिक्षक के पास अपना पासवर्ड नहीं है तो संबंधित जिला प्रोग्रामर से पासवर्ड प्राप्त कर सकेगा। प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक अपने संकुल के DDO के लॉगइन पासवर्ड द्वारा DDO की सहायता से पोर्टल पर पंजीकृत करवा सकेंगे। पोर्टल पर वेब पेज निर्माण की प्रक्रिया निम्नानुसार सम्पादित की जाएगी:-

1. कोई भी शिक्षक जब अपने यूनिक आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगइन करेंगे तो पोर्टल के माध्यम से पूर्व में दर्ज उनका व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र तथा फोटो प्रपत्र क में स्वतः प्रदर्शित होगा। इसमें जो जानकारी रिक्त है वह शिक्षक द्वारा भरी जायेगी तथा सेव की जायेगी। प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सम्पूर्ण जानकारी भरी जायेगी।
2. अब शिक्षक द्वारा कार्य विवरण पत्रक प्रपत्र ख में अपनी उपलब्धियों की जानकारी भर कर सेव की जायेगी।
3. उपरोक्त दोनों प्रपत्र क एवं ख भली-भाँति चेक कर लें तथा यदि कोई संशोधन है तो उसे सुधार कर संतुष्ट होने के बाद शिक्षक द्वारा अपना वेब पेज लॉक कर दिया जाये।
4. संबंधित DDO सभी शिक्षकों के वेब पेज पर दर्ज विवरणों की अभिलेख के आधार पर पुष्टि करेंगे। जहाँ आवश्यक हो सके शिक्षकों द्वारा दर्ज विवरणों की पुष्टि के लिए आवश्यक कोई भी अभिलेख DDO द्वारा संबंधित शिक्षकों से प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रपत्र क एवं ख में दर्ज प्रत्येक जानकारी के समक्ष DDO द्वारा पुष्टि की जाती है अथवा पुष्टि नहीं की जाती है के चेक बाक्स में सही का निशान लगायेंगे।

विद्यार्थियों, संस्था न पदस्थ अन्य शिक्षकों एवं समुदायों से संबंधों के आधार पर मूल्यांकन संबंधी "प्रपत्र ग" DDO द्वारा संबंधित संस्था प्रमुख से प्राप्त किया जाएगा तथा इस बाबत प्रमाणीकरण अंकित किया जायेगा कि संस्था प्रमुख द्वारा प्रपत्र ग में कोई विपरीत टीप नहीं की गई है। अन्यथा स्थिति होने पर तदनुसार अंकित किया जाएगा। सम्मान / पुरस्कार हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर शिक्षक की पात्रता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा अंकित करके DDO द्वारा शिक्षक का प्रस्ताव लॉक कर दिया जाएगा।

5. जिलान्तर्गत समस्त DDO द्वारा उपर्यक्तानुसार अनुशंसित सभी शिक्षकों के प्रस्तावों पर शासन/विभाग द्वारा विहित जिला चयन समिति द्वारा उपलब्धियों के आधार पर विचार किया जायेगा तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव का आंकिक मूल्यांकन किया जाएगा। तदुपरांत समिति द्वारा श्रेणीवार गुणानुक्रम में सूची तैयार की जाकर उसे पोर्टल पर सार्वजनिक किया जायेगा एवं उसके आधार पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जायेगा।

3. न्यूनतम अर्हतादायक (जिला स्तर हेतु)

- क प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य हेतु सेवाकाल -15 वर्ष (विगत वर्ष के 31 दिसंबर तक)
ख शिक्षकों /स0शि0/शिक्षक/व्याख्याता/अध्यापक संवर्ग हेतु सेवाकाल - 10 वर्ष (विगत वर्ष के 31 दिसंबर तक)
ग प्रशिक्षण संस्था एवं गैर शिक्षकीय कार्य में व्यतीत की गई सेवा अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाये।

4. चयन की श्रेणियाँ

जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु अध्यापन की कक्षाओं के अनुसार बिन्दु 5 में दी गई विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों का चयन होगा।

5. जिला स्तर पर सम्मान हेतु श्रेणी एवं पुरस्कारों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	विद्यालय का प्रकार	सामान्य शिक्षकों के लिए पुरस्कारों की अधिकतम संख्या	विद्यालयों में पदस्थ एवं निःशक्त बच्चों के अध्यापन में संलग्न विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों अथवा निःशक्त शिक्षकों के लिए पुरस्कारों की अधिकतम संख्या
1	प्राथमिक, कक्षा 1-5	2	सभी श्रेणियों की समग्र गुणानुक्रम सूची में से वरीयता क्रम में चुने गये अधिकतम 2 शिक्षक
2	मिडिल, कक्षा 6-8	2	
3	हाईस्कूल, कक्षा 9-10	1	
4	हायर सेकण्डरी कक्षा 11-12	1	
5	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में पदस्थ संस्कृत शिक्षक	1	
6	परम्परागत रूप से संचालित मदरसों में पदस्थ अरबी / फारसी के शिक्षक	1	
	योग	8	2
	महायोग		10

6. निर्धारित मापदण्ड अर्हता एवं प्रक्रिया

- 6.1 जन शिक्षक, किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न (अटैच) शिक्षक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों तथा संस्था प्रमुखों को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान की पात्रता नहीं होगी।
- 6.2 पूर्व में राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कोई शिक्षक / संस्था प्रधान यदि जिला स्तर की गुणानुक्रम सूची में वरिष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु उनके नाम पर राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे शिक्षक / संस्था प्रमुख के नामों पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- 6.3 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पूर्व में सम्मानित शिक्षक/संस्था प्रधानों के नामों पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान अथवा राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- 6.4 जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों में समग्र रूप से कम से कम 25 प्रतिशत शिक्षक/संस्था प्रधान मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के होना चाहिए।
- 6.5 जिला स्तर पर सम्मानित शिक्षकों की सूची तथा मूल्यांकन पत्रक की प्रविष्टि एज्युकेशन पोर्टल पर की जायेगी, ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
- 6.6 जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु संलग्न प्रपत्रों में निम्नानुसार जानकारियाँ अपेक्षित हैं:-
 - 6.6.1 शिक्षक का व्यक्तिगत विवरण (प्रपत्र "क")
 - 6.6.2 शिक्षक की उपलब्धियों का विवरण (प्रपत्र "ख")
 - 6.6.3 विद्यार्थियों एवं संस्था में पदस्थ अन्य शिक्षकों एवं समुदाय से संबंधों के आधार पर शिक्षक का मूल्यांकन एवं टिप्पणी (प्रपत्र "ग")

6.6.4 निष्कलंक सेवा का प्रमाण पत्र (प्रपत्र " घ ")

6.6.5 सतत सेवा का प्रमाणपत्र (प्रपत्र " च ")

7. जिला स्तरीय चयन समिति

जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर समग्र रूप से विचार कर मूल्यांकन करने तथा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु शिक्षकों के नाम अनुशंसित करने हेतु जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

1. जिला कलेक्टर -अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी -सचिव
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) -सदस्य
4. जिला परियोजना समन्वयक -सदस्य
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास -सदस्य
6. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0 -सदस्य

8. गुणानुक्रम सूची तैयार करना

जिला चयन समिति परिशिष्ट क, ख, ग, घ एवं च आदि की अभ्युक्तियों के आधार पर चयन करेगी। इस हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव का आंकिक मूल्यांकन कर नामों की गुणानुक्रम सूची बनायेगी तथा जिलास्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु शिक्षकों का चयन करेगी जिलास्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु निर्धारित माप दण्डों के लिये प्रस्तावित अंकों का विवरण जिला कलेक्टर को पृथक से उपलब्ध करा दिया जाएगा। समिति तदनुसार प्रत्येक प्रस्ताव का समग्र रूप से मूल्यांकन कर अंकों के आधार पर गुणानुक्रम सूची बनाएगी।

9. समय-सीमा

जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु नामों का चयन 30 अगस्त तक करना अनिवार्य होगा, ताकि शिक्षक दिवस के अवर.र पर 05 सितम्बर को शिक्षकों को सम्मानित किया जा सके। चयनित नामों की सूची दिनांक 31 अगस्त तक एज्युकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड कर लॉक कर दी जाएगी। चयनित नामों की गुणानुक्रम सूची पर जिला चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम, पदनाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा इसे स्कैन कर पोर्टल पर समिति के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।

10. सम्मान राशि

सम्मानित होने वाले चयनित शिक्षकों को शासन / विभाग द्वारा निर्धारित सम्मान राशि रुपये 1000 /- प्रति शिक्षक, प्रशस्ति-पत्र, शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा।

11. राष्ट्र निर्माण का महान कार्य करने वाले गुरुजनों की सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित करने की इस योजना की सफलता और सार्थकता चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता में ही निहित है। अतः चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाये।



(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त लोक शिक्षण एवं सचिव
म0प्र0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रपत्र-“ क ”
शिक्षक का व्यक्तिगत विवरण
(बिन्दु क 1 से 24 तक)

फोटो
यहाँ
चिपकाये

- 1- डी0डी0ओ0 कोड -
- 2- शिक्षक का यूनिफ कोड-
- 3- शिक्षक का यूनिफ आई0डी0 -
- 4- नाम (हिन्दी में) -
- 5- नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)-
- 6- शिक्षक की जन्मतिथि -
- 7- वर्तमान आयु - वर्ष माह दिवस
- 8- क्या शिक्षक स्वयं 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त की श्रेणी में है ? हाँ / नहीं
यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करें ।
- 9- अ-प्रथम नियुक्ति दिनांक -
ब-प्रथम पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
स- पदनाम
द- वेतनमान
इ- पदस्थ शाला का नाम
- 10- अ- शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ करने का दिनांक
ब- दिनांक 31 दिसम्बर 2009 को कुल शैक्षिक सेवा काल वर्ष माह
- 11- सेवानिवृत्ति की तिथि -
- 12- पिता / पति का नाम -
- 13- विवाहित (हाँ / नहीं)-
- 14- पदस्थ विद्यालय का नाम -
- 15- आवास का स्थायी पता -
- 16- आवास का वर्तमान पता -
- 17- शाला मुख्यालय पर निवास करते हैं- हाँ / नहीं-
- 18- यदि मुख्यालय पर निवास करते हैं तो पिनकोड सहित पूरा आवासीय पता-

19- विद्यालय का स्तर - प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / संस्कृत पाठशाला / मदरसा -

20 सेवा रिकार्ड का विवरण -

20.1 संस्था का नाम

20.2 स्तर-प्राथमिक / माध्यमिक आदि

20.3 प्रबंधन सरकारी / अनुदान प्राप्त माध्यमिक आदि या गैर अनुदान प्राप्त

20.4 कुल दाखिला

20.5 सेवा की अवधि दिनोंक महीना एवं वर्ष सहित

20.6 पढ़ाये गये विषय

20.7 पढ़ाई गई कक्षाएं

20.8 सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम

20.9 पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी

21- कुल अनुभव

21.1 अवधिसेतक

21.2 अध्यापन

21.3 प्रशासनिक

21.4 प्रशिक्षण

21.5 प्रतिनियुक्ति

21.6 जन शिक्षक / संकुल प्रभारी आदि के रूप में कार्य

22. क्या शिक्षक ने निःशक्त बालकों की शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है ? हाँ/नही यदि हाँ तो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करें ।

23. क्या शिक्षक द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं ? हाँ/नही यदि हाँ तो विवरण दर्ज करें ।

24. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता का विवरण

स. क.	डपाधि / पत्रोपाधि / प्रमाणपत्र	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी एवं प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र- ख
शिक्षक की उपलब्धियों का विवरण
(बिन्दु 1 से 27 तक)

क्रमांक	बिन्दु	विवरण	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक
1	क्या शिक्षक द्वारा स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं ? हाँ/नहीं		4	
2	क्या शिक्षक ने स्कूल में प्रवेश बढ़ाने हेतु कारगर प्रयास किये हैं ? वर्ष 2009.10 हाँ/नहीं वर्ष 2008.09 हाँ/नहीं वर्ष 2007.08 हाँ/नहीं वर्ष 2006.07 हाँ/नहीं वर्ष 2005.06 हाँ/नहीं		3	
3	यदि हाँ तो कुल कितने बच्चों को प्रवेश दिलाया है ? (विगत पांच वर्षों की संख्या का उल्लेख करें) वर्ष 2009.10 वर्ष 2008.09 वर्ष 2007.08 वर्ष 2006.07 वर्ष 2005.06		3	
4	विगत पाँच वर्षों में स्कूल में कक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर क्या रही है? वर्ष 2009.10 वर्ष 2008.09 वर्ष 2007.08 वर्ष 2006.07 वर्ष 2005.06		5	
5	क्या शिक्षक ने शाला छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाये हैं ? हाँ/ नहीं		5	
6	शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा /विषय में प्रथम श्रेणी (ए ग्रेड) पाने वालों की प्रतिशतता दे । वर्ष 2009.10 वर्ष 2008.09 वर्ष 2007.08 वर्ष 2006.07 वर्ष 2005.06		5	
7	विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय में द्वितीय श्रेणी (बी ग्रेड) पाने वालों की प्रतिशतता दे वर्ष 2009.10 वर्ष 2008.09 वर्ष 2007.08 वर्ष 2006.07 वर्ष 2005.06		5	

8	विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय में तृतीय श्रेणी (सी ग्रेड) पाने वालों की प्रतिशतता दे वर्ष 2009.10 वर्ष 2008.09 वर्ष 2007.08 वर्ष 2006.07 वर्ष 2005.06		5	
9	क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है ? हाँ / नहीं		5	
10	शिक्षको / प्रधानाध्यापको के मामले में विगत पाँच वर्षों के दौरान कक्षा / स्कूल में अनुशासनहीनता का मामला दर्ज हुआ है? हाँ / नहीं		5	
11	क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? हाँ / नहीं		2	
12	निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिये - क्या शिक्षक प्राइवेट शिक्षण देते / देती है ? हाँ / नहीं		2	
13	- क्या शिक्षक राजनीतिक/ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में सम्मिलित होते/होती है ? हाँ / नहीं ..		2	
14	- क्या शिक्षक शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पडने के आदी हैं ? हाँ / नहीं		2	
15	- क्या शिक्षक समयनिष्ठ है ? हाँ / नहीं ..		2	
16	क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? हाँ / नहीं		5	
17	कक्षा के शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया है ? हाँ / नहीं		3	
18	क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते है ? हाँ/नहीं		3	
19	क्या शिक्षक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है ?		2	
20	यदि हाँ तो विगत पाँच वर्षों के विवरण दें । वर्ष 2009.10 हाँ/नहीं वर्ष 2008.09 हाँ/नहीं वर्ष 2007.08 हाँ/नहीं वर्ष 2006.07 हाँ/नहीं वर्ष 2005.06 हाँ/नहीं		3	
21	क्या शिक्षक स्कूलों में सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने में सक्रिय रुचि लेते है ? हाँ / नहीं		4	

22	क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य-पुस्तक आदि लिखी है ? हाँ / नहीं		5	
23	क्या विगत 10 वर्षों के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता / पुरस्कार या इनाम मिला है ? हाँ/नहीं		5	
24	(क) क्या शिक्षक सेवाकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ रहा ? हाँ / नहीं		3	
	(ख) यदि हाँ तो अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें		3	
	(ग) ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ रहने के दौरान मुख्यालय पर निवास की अवधि		3	
25	(क) क्या शाला निरीक्षण के दौरान शिक्षक के संबंध में कोई बिपरीत टीप दी गई है ? हाँ/नहीं		2	
26	(ख) क्या शिक्षक भद्यपान, धूमपान, तम्बाकू तथा तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करता है? हाँ/नहीं		2	
27	(ग) क्या शिक्षक द्वारा नशामुक्ति हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये हैं ? हाँ / नहीं		2	

प्रपत्र - ग
विद्यार्थियों एवं संस्था में पदस्थ अन्य शिक्षकों एवं समुदाय से संबंधों के आधार पर शिक्षक का मूल्यांकन एवं टिप्पणी

- 1- क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का यथोचित सम्मान है ?
- 2- क्या शिक्षक विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने में सक्षम है ?
- 3- क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और समुदाय के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाये रखते हैं ?
- 4- क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओं - पिताओं द्वारा शिक्षक को समुचित सम्मान मिलता है ?
- 5- क्या अभिभावक - शिक्षक संघ के कार्यक्रमलाप में शिक्षक की सहभागिता है ?
- 6- विगत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का वर्गीकरण ।

क्रमांक	वर्ष	वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का वर्गीकरण
1	2006	
2	2007	
3	2008	
4	2009	
5	2010	

- 7- शासन द्वारा निर्धारित ऋरूप में लिखे गए तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए मूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की पुष्टि डी0डी0ओ0 द्वारा की जाए
- 8- संस्था प्रमुख की अभ्युक्ति

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा शिक्षकों को सम्मान / पुरस्कार हेतु विचारण के लिए पात्रता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

जिला चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा

स.क्र.	पद	नाम	हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
1	जिला कलेक्टर		
	जिला शिक्षा अधिकारी		
3	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान		
4	जिला परियोजना समन्वयक		
5	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास		

प्रपत्र-घ

अनुशासित शिक्षक के संबंध में निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्षके लिए अनुशासित शिक्षक श्री / सुश्री / श्रीमतीपदनाम विद्यालयस्थान

जिला..... के संबंध में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है जिसके कारण शिक्षक सम्मान के लिए अनुपयुक्त अथवा अपात्र हो। विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1- अनुशासित शिक्षक कभी भी किसी विभागीय या आपराधिक कार्रवाई में दण्डित नहीं हुए हैं और उनके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई वर्तमान में लंबित भी नहीं है।
- 2- अनुशासित शिक्षक के विरुद्ध अन्य किसी प्रकार की कोई जाँच भी प्रचलित नहीं है।
- 3- अनुशासित शिक्षक के विरुद्ध कोई पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।
- 4- अनुशासित शिक्षक का रिकार्ड तथा पूर्ववृत्त पूर्णतः निष्कलंक है।
- 5- अनुशासित शिक्षक का सेवाकाल सतत है अर्थात् बीच में कभी भी सेवा व्यवधान नहीं हुआ है।

उपर्युक्त प्रमाणीकरण मेरे द्वारा की गई व्यक्तिगत: पुष्टि के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

प्रतिहस्ताक्षर
(नाम _____)
जिला शिक्षा अधिकारी
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
(नाम _____)
आहरण संवितरण अधिकारी
पदमुद्रा

प्रपत्र-च

न्यूनतम दाँछनीय सेवाकाल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / श्रीमती.....

पदनाम..... विद्यालय का नामजिला.....

..... मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / संस्कृत पाठशाला / मद्रसा में कक्षा अध्यापन अथवा संस्था के में के लिए प्रमाणित किया जाता है।

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान/राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

जिलास्तर पर शिक्षक पोर्टल के माध्यम से तैयार गुणानुक्रम सूची में से 15 वर्ष की सतत सेवा वाले कक्षा शिक्षकों तथा 20 वर्ष की सतत सेवा वाले संस्था प्रधानों के नामों की राज्य स्तर पर समग्र रूप से गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी, जो राज्यस्तरीय सम्मान/राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु शिक्षकों के नामों का चयन करने के लिए गठित निर्मांकित चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

1. आयुक्त,, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश -अध्यक्ष
2. भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि / प्राचार्य,क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल -सदस्य
3. म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा नामांकित प्रतिनिधि प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय -सदस्य
5. आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य

समिति द्वारा जिला स्तर पर तैयार गुणानुक्रम सूची, मूल्यांकन पत्रक तथा निर्धारित विवरण पत्रकों के आधार पर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान/राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु निर्धारित संख्या में नामों की अनुशंसा की जायेगी।

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान के लिये बिन्दु-5 में उल्लेखित अध्यापन की कक्षाओं के अनुसार सामान्य श्रेणी में 8 तथा विशेष श्रेणी में 2 शिक्षकों का चयन होगा।

राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों में समग्र रूप से कम से कम 25 प्रतिशत शिक्षक / संस्था प्रधान मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से होंगे।

पूर्व में राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कोई शिक्षक / संस्था प्रधान यदि जिला स्तर की गुणानुक्रम सूची में वरिष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु उनके नाम पर राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे शिक्षक / संस्था प्रमुख को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान की पात्रता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोटे से दोगुनी संख्या में पात्र शिक्षकों के अनुशंसित प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 31 दिसम्बर तक भारत सरकार को भेजे जायेंगे।

आयुक्त लोक शिक्षण एवं सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग